काले धंधे वाले भी अपने आप को इज्जतदार समझने लगे

टंडन के कानूनी नोटिस का सार्वजनिक खुलासा

'मज़दूर मोर्चा' पिछले अंकों में फ़रीदाबाद के कुख्यात पुलिस दलाल और शराब कारोबारी तनेंद्र टंडन के चंद काले कारनामों की झलक समाचारों के रूप में पाठकों के सामने पेश करता आया है। यहां यह दोहराना भी ठीक होगा कि यह टंडन राजनीतिक शह और संरक्षण के चलते शहर में दनदनाता फ़िरता है। इसे स्थानीय बड़खल विधायक सीमा त्रिखा का बेहद करीबी माना जाता है। यहां तक कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री खट्टर ने शहर में अपना रोड शो किया था तो जहां शहर की मेयर सुमनबाला को पैदल चलते देखा गया, टंडन साहब विधायक त्रिखा के पति के साथ एक खुले वाहन पर शोभायमान थे।

हरियाणा में शराब का कारोबारी क्या-क्या धंधे करता है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी पुलिस की दलाली भी करें यह जरूरी नहीं। हां, टंडन जैसे अपनी राजनीतिक एवं पुलिसिया संरक्षण के चलते दलाली का साइड-शो भी चलाते रहते हैं। इन्हें यह ग़लतफ़हमी भी रहती है कि अपने सफ़ेदपोश चोले से सारे पाप ढके जा सकते हैं।

'मज़दूर मोर्चा' की खबरों से बौखला कर और राजनीतिक संरक्षकों के उकसावे पर टंडन ने संपादक, प्रकाशक और प्रिंटर को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। यह नोटिस किन्ही सुमीत सिंह नामक एडवोकेट,

तनेन्द्र टंडन : मैं इज्जतदार कब दिखूंगा

चेंबर नम्बर 51 सेक्टर 12 के पते से भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि वकील साहब के मुवक्किल टंडन साहब एक इज्जतदार कारोबारी हैं और सामाजिक कल्याण संस्थाओं में जाने जाते हैं। **'मज़दूर मोर्चा'** में छपी खबरों से उनकी कारोबारी आय का बड़ा नुक्सान हुआ है और उन्हें मानसिक रूप से बड़ा कष्ट पहुंचा है।

एडवोकेट सुमीत सिंह ने अपने नोटिस के द्वारा मांग की है कि यह समाचार पत्र उनके मुवक्किल टंडन साहब को 25 लाख बतौर हर्जाना तुरंत अदा करे। यही नहीं वकील साहब ने यह भी लिखा है कि इस दो पेज के नोटिस के मेहताने के रूप में 11000 रुपये उन्हें भी दिये जायें। अन्यथा धारा 499,500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संपादक, प्रकाशक प्रिंटर के खिलाफ़ मामला अदालत में ले जाया जायेगा। इस नोटिस पर 13 जुलाई की तारीख है।

उपरोक्त नोटिस का जवाब बजाय वकील साहब को भेजने के, इस अखबार की नीति के अनुसार हम यहां सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं। हमारा मानना है कि उपरोक्त तनेंद्र टंडन के विषय में जो भी समाचार इस पत्र में छपे हैं, वे पूर्णत: तथ्यात्मक और सही हैं। इन्हें पाठकों की जानकारी के लिये सार्वजनिक हित में छापा गया है। हम एक बार पुन: इन समाचारों की पुष्टि करते हुये इस लीगल नोटिस के द्वारा दी गयी धमकी को खारिज करते हैं। **'मज़दूर मोर्चा'** ने सदा सच को दो टूक शब्दों में सच ही लिखा है। मौजूदा मामला भी कोई भिन्न नहीं।

नोटिस पाने के बाद हमने इस टंडन की दलाली के पुराने प्रसंगों की और छानबीन की। यह पाया गया कि समाज जिसे सूप समझ रहा था वह तो छलनी निकला। संक्षेप में फ़िलहाल इतना उल्लेख काफ़ी होगा कि करीब 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सुभाष यादव ने इस तथाकथित इज्जतदार शहरी टंडन को पूछताछ के लिये सीआईए में बैठा लिया था। तब विधायक सीमा त्रिखा दौड़ी-दौड़ी पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची। विधायक के दबाव में सीपी ने कड़ी चेतावनी देकर इसे छोड़ा। चेतावनी के स्वर यह थे कि आइंदा कभी कोई शिकायत मिली तो बख्शा नहीं जायेगा। लिहाजा सुभाष यादव की तैनाती के दौरान टंडन बिल से नहीं निकला। ऐसा कलंकित आदमी जिसकी समाज में दो धेले की इज्जत न हो, वह अपनी कीमत 25 लाख लगा रहा है, बहुत ही हास्यास्पद लगता है। केवल सफ़ेद कपड़े पहन लेने से, बड़ी-बड़ी गाड़ियां रख लेने से या किसी राजनेता का दुमछल्ला बनने से कोई आदमी इज्जतदार नहीं बन जाता। इसके लिये उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं जो टंडन ने कभी किये नहीं, न कभी उसकी ऐसी नीयत रहीं

ठेके से शराब तस्करी कराता है टंडन

फ़रीदाबाद (म.मो.) एन एच 3 में डीएवी सेंटेनरी कॉलेज की दीवार के साथ-साथ चल कर राहुल कॉलोनी में प्रवेश करें तो करीब 100 मीटर के फ़ासले पर एक ठेका शराब का है। इस पर अंग्रेजी व देशी, दोनों प्रकार की शराब मिलती है।

राहुल कॉलोनी की झुग्गी-बस्ती में रहने वाले गरीब लोग अधिकतर देशी शराब का ही सेवन करते हैं। अंग्रेजी शराब की खपत न के बराबर है। इसके बावजूद इस ठेके के नाम पर सैंकड़ों पेटी शराब के परमिट आबकारी विभाग से बनते हैं। आबकारी कानून के मुताबिक शराब को उसी निश्चित स्थान से बेचा जा सकता है जिस ठेके के लिये परमिट बना हो। अब क्योंकि राहुल कॉलोनी में अंग्रेजी शराब की कोई खास खपत है नहीं इसलिये यह 'इज्जतदार', इस ठेके का ठेकेदार टंडन यहां की शराब को जगह-जगह मोहल्ले-मोहल्ले, हर घर में अपने एजेंटों के द्वारा बिकवाता है।

राहुल कॉलोनी में ठेका लेने का मतलब ही केवल यह रहा है कि यहां की शराब को तस्करी करके अन्यत्र कहीं बेचा जायेगा। राहुल कॉलोनी जैसी झुग्गी बस्ती में कोई अच्छे ढंग का ठेकेदार तो ठेका लेने से रहा इसलिये यहां का ठेका बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। इस काम के लिये टंडन जैसे इज्जतदार को पुलिस के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता रहती है जिसके बिना यह धंधा संभव हीं नहीं है। जाहिर है इस सहयोग की वाजिब कीमत भी पुलिस को दी जाती है। इस सहयोग एवं कीमत लेन-देन के बावजूद भी कई बार कोई न कोई पुलिस अधिकारी टंडन की शराब को पकड़ ही लेता है। पिछले दिनों 14 मई को बड़खल सीआईए पुलिस ने 35 पेटी शराब एक व्यक्ति से पकड़ी थी जिसने पुछताछ करने पर बताया कि यह माल तनेन्द्र टंडन का है। उसने यह भी बताया कि वह इस तरह के तीन-चार फेरे दिन भर में लगा लेता है और उस जैसे कुछ लड़के और भी हैं जो टंडन के लिये यही काम करते हैं।

अंतराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में अम्बानी ने मारी 30 हजार करोड़ की डकैती

गिरीश मालवीय की विशेष रिपोर्ट

भारत की जनता की हार हुई है और एक पूंजीपति की जीत हुई है और वो भी एक ऐसे केस में जो साफ साफ चोरी और सीनाजोरी का मामला था, यह वाकई में चोरी का नही डकैती का मामला था.....

आंध्र के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी के गैस भंडार में सेंध लगाकर रिलायंस द्वारा 30 हजार करोड़ रू की प्राकृतिक गैस चुराने के मामले मे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल का फ़ैसला आ गया है।

इस पैनल ने जो रिलायंस ओर मोदी सरकार की सहमति से बना था, उसने ओएनजीसी की शिकायत को रद्द कर रिलायंस से 10 हजार करोड़ का जुर्माना हटा दिया है जो 2016 में जस्टिस ए पी शाह आयोग द्वारा रिलायंस को दंडित करने की सिफ़ारिश के चलते सरकार को लगाना पड़ा था।

इस से भी बड़ा तुर्रा यह लगा है कि ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि अब सरकार को ही हरजाने के तौर पर लगभग 50 करोड़ रू रिलायंस को देने होंगे।

आंध्र प्रदेश की दो प्रमुख नदियों कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन कच्चे तेल और गैस की खान माना जाता है 1997-98 में सरकार न्यू एक्सप्लोरेशन और लाइसेंस पॉलिसी (नेल्प) लेकर आई। इस पॉलिसी का मुख्य मकसद तेल खदान क्षेत्र में लीज के आधार पर सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को एक समान अवसर देना था। इस पॉलिसी से रिलायंस का प्रवेश तेल और गैस के अथाह भंडार वाले इस क्षेत्र में हो गया।

रिलायंस ने इन तेल क्षेत्रों में अपना अधिकार बनाना शुरू किया जहाँ ओएनजीसी पहले से खुदाई कर रहा था। धीरे धीरे रिलायंस ने यह कहना शुरू किया कि उसे इस क्षेत्र में करोड़ों घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन करने वाले कुए मिल गए हैं। इन खबरों से रिलायंस के शेयर आसमान पर जा पुहंचे।

2008 में रिलायंस ने तेल और अप्रैल 2009 में गैस का उत्पादन शुरू किया।

लेकिन हकीकत यह थी कि रिलायंस को अपनी घोषणाओं के विपरीत बेहद कम तेल और गैस इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही थीं जबकि पास के क्षेत्र में स्थित अपने कुओं से भरपूर मात्रा में तेल गैस का उत्पादन कर रहा था।

2011 में केजी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज की परियोजना से गैस उत्पादन में गिरावट आई और सरकार ने रिलायंस को गैर-प्राथमिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया। लेकिन रिलायंस ने इस्पात उत्पादन करने वाले समूहों को साथ मे लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। पेट्रोलियम मंत्रालय और रिलायंस में यह विवाद गहराता चला गया। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना था कि रिलायंस को कैग द्वारा ऑडिट कराना होगा लेकिन रिलायंस इसके लिए तैयार नही हुआ। उसने इस क्षेत्र में अपने वादे के मुताबिक अरबो करोड़ का निवेश करने से इन्कार कर दिया।

रिलायंस कंपनी ने यह शर्त भी रखी कि लेखा परीक्षा उसके परिसर में होनी चाहिये और यह रिपोर्ट पीएससी के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपी जाए, संसद को नहीं। यूपीए सरकार में भी मुकेश अम्बानी की रिलायंस इतनी पॉवरफुल थी कि कहा जाता था कि मुकेश अम्बानी की मर्जी से पेट्रोलियम मंत्री हटाये और बहाल किये जाते थे। इस बीच 2013 में रिलायंस और ओएनजीसी के बीच गैस चोरी को लेकर विवाद की थोड़ी-थोड़ी भनक मिलना शुरू हो गयी थी।

अब, इस केस की टाइमिंग .....मई 2014 में भारत मे लोकसभा के चुनाव हुए थे। 16 मई को यह फैसला आने वाला था कि सत्ता किसके हाथ लगने वाली है। उसके ठीक एक दिन पहले ओएनजीसी ने 15 मई, 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जिसमें यह आरोप लगाया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसके गैस ब्लॉक से हजारों करोड़ रुपये की गैस चोरी की है।

ओएनजीसी का कहना था कि रिलायंस ने जानबूझकर दोनों ब्लॉकों की सीमा के बिलकुल करीब से गैस निकाली, जिसके चलते ओएनजीसी के ब्लॉक की गैस आरआईएल के ब्लॉक में आ गयी।

ओएनजीसी के चेयरमैन डीके सर्राफ ने 20 मई 2014 को अपने बयान में कहा कि ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है, उसका मकसद अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करना है। क्योंकि रिलायंस की चोरी के चलते उसे लगभग 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन चिड़िया खेत चुग चुकी थी और रिलायंस के सैया, नरेंद्र मोदी अब कोतवाल बन चुके थे लिहाजा अपर हैंड अब रिलायंस के ही पास था।

23 मई, 2014 को एक बयान में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि 'हम के जी बेसिन से कथित तौर पर गैस की 'चोरी' के दावे का खण्डन करते हैं। सम्भवत: यह इस वजह से हुआ कि ओएनजीसी के ही कुछ तत्वों ने नये चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक सर्राफ को गुमराह किया जिससे वे इन ब्लॉकों का विकास न कर पाने की अपनी विफलता को छुपा सकें।'

लेकिन याद रखिए, 15 मई 2014 को ओएनजीसी ने जो केस दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया था वह केस एक ऐतिहासिक केस था क्योंकि ओएनजीसी ने रिलायंस पर तो चोरी का आरोप लगाया ही था, उसने सरकार को भी आड़े हाथों लिया था। ओएनजीसी का कहना था कि डीजीएच और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं किये जाने के कारण ही रिलायंस ने यह चोरी की। ओएनजीसी यानी तीसरा पक्ष कह रहा था कि पहले पक्ष यानी रिलायंस ओर दूसरे पक्ष यानी सरकार ने मिलकर इस डकैती को अंजाम दिया है।

लेकिन ONGC को अपनी ओकात मोदी सरकार ने 9 दिन के अंदर ही याद दिला दी। सरकार ने 23 मई को रिलायंस, ओएनजीसी और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक करवायी और सबने मिलकर इस मामले के अध्ययन के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया जिसमे रिलायंस ओर सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे।

समिति ने मामले की जाँच का ठेका दुनिया की जानीमानी सलाहकार कम्पनी डिगॉलियर एण्ड मैकनॉटन (डीएण्डएम) को दिया। डीएण्डएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ओएनजीसी के ब्लॉक से आरआईएल के ब्लॉक में 11,000 करोड़ रुपये की गैस गयी है। दूसरे, उसने यह सलाह भी दे डाली कि इन ब्लॉकों में बची गैस को रिलायंस से ही निकलवा लिया जाय जो इस काम को करने में माहिर है।

इस रिपोर्ट पे निर्णय देने के लिए मोदी सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.पी. शाह समिति का गठन किया। समिति का काम इस मामले में हुई भूलचूक देखना और ओएनजीसी के मुआवजे के बारे में सिफरिश करना था।

शाह समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओएनजीसी के क्षेत्र से गैस अपने ब्लाक में बह या खिसक कर आयी गैस के दोहन के लिए उसे सरकार को 1.55 अरब डॉलर भुगतान करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस अनुचित तरीके से फायदे की स्थिति में रही है।

लेकिन पता नही मोदी सरकार की कौन सी गोट रिलायंस के पास दबी हुई थी कि उसने रिलायंस द्वारा इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए उसके द्वारा अंतराष्ट्रीय पंचाट में जाने के निर्णय को स्वीकार कर लिया जिसमे अब आए फैसले ने देश की जनता को सदा के लिए महंगे दामो पर गैस खरीदने पर अब मजबूर कर दिया है।

यहाँ बस एक ही बात याद आ रही है जो कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में कथित रूप से हजारो करोड़ की विकास व निवेश परियोजनाओं की नींव रखते हुए कही थी कि 'अगर नेक नीयत हो तो उद्योगपतियों के साथ खड़े होने में दाग नहीं लगता'।

दाग तो छोड़िए, आज आपकी नेक नीयती सरे बाजार बिना कपड़ों के खड़ी होकर शर्मिंदा हो रही है मोदी जी!

चोर को छुड़ाने गयी विधायक मुंह लटकाये लौटी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सीआईए यानी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने चार अगस्त को सुबह करीब 3-4 बजे छापा मार कर एनआईटी के एन एच एक नम्बर से हितेश भाटिया पुत्र बिशम्बर व उसके मौसेरे भाई अनिल को दबोच लिया। चोरी की मोटर साइकिलें व चेन स्नैचिंग के मामलों में पुलिस के पास पुख्ता जानकारी के आधार पर यह कार्यवाही अमल में लाई गयी है।

हितेश के पिता बिशम्बर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और अब भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ-साथ विधायक सीमा त्रिखा के खासमखास समझे जाते हैं। बिशम्बर द्वारा कबाड़ी का धंधा किये जाने के चलते उस पर पुलिस की निगरानी तो रहती ही थी। अब कुछ पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया।

हितेश की गिरफ़्तारी की खबर मिलते ही पहले तो खुद सीमा ने सीआईए में फ़ोन करके दोनों चोरों को छुड़ाने का प्रयास किया, बात नहीं बनी तो पुलिस के दलाल टंडन को इस काम पर लगाया। अंत में जब टंडन ने भी हाथ खड़े कर दिये तो सीमा त्रिखा खुद सीआईए सेक्टर 30 पहुंची। लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अपनी असमर्थता जताते हुये कहा कि वे सीपी साहब से कहलवा दें तो वे छोड़ सकते हैं वरना नहीं। सीमा की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीपी से बात कर सके। परिणामस्वरूप पुलिस ने चार अगस्त को ही बाद दोपहर दोनों आरोपियों को पेश अदालत करके दो दिन का रिमांड ले लिया और सीमा देखती रह गयी।

मुख्यमंत्री खट्टर फ़र्माते हैं कि ज़िले के तमाम अफ़सरान विधायकों एवं सांसदों का पूरा सम्मान करें। कुर्सी से उठ कर उन्हें सलाम ठोकें, जाते वक्त उन्हें बाहर तक छोड़ने आयें। अब कोई बताये इस तरह के विधायक का कोई अफ़सर क्या तो सम्मान करे और क्या उसकी बात माने जिसने चोरों को ही छुड़वाना हो और टंडन जैसे शराब तस्करों का धंधा चलवाना हो। इस घटना से यह भी स्वत: सिद्ध है कि पुलिस तो क्राइम कंट्रोल कर सकती है यदि ये नेतागण करने दें तो।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06